कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

आदेश संख्या– 121 /2021

श्री राकेश कुमार यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, कक्ष संख्या 02, सुलतानपुर की आख्या का अवलोकन किया। दिनांक 26–04–2021 को जनपद अमेठी में पंचायत चुनाव होना निर्धारित है जिसमें जनपद अमेठी के वादकारीगण एवं अधिवक्तागण मतदान में भाग लेने के कारण तथा यातायात आवागमन बन्द होने के कारण वाह्य न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड) मुसाफिरखाना एवं जनपद न्यायालय सुलतानपुर उपस्थित नहीं आ सकेंगे। ऐसी स्थिति में मान्नीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 4959/Admin. (E-1) XC-27/dated Allahabad 13–04–2021 के परिप्रेक्ष्य में जिला पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान के सदस्यों का चुनाव वर्ष 2021 जो कि शासकीय अधिसूचना संख्या 256/10–2021–39(1)/2002 दिनांकित 06–04–2021 सामान्य प्रशासन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ अन्तर्गत निगोसिएबिल इन्स्ट्रूमेन्ट ऐक्ट 1881 के अनुपालन में दिनांक 26–04–2021 को जनपद अमेठी में पंचायत चुनाव होने के कारण बाह्य न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड) मुसाफिरखाना एवं जनपद न्यायालय सुलतानपुर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त परिपत्र के अनुपालन में दिनांक 26.04.2021 को निगोसिएबिल इन्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881, के अन्तर्गत जनपद न्यायालय सुलतानपुर एवं बाह्य न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड) मुसाफिरखाना में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(हस्ताक्षर) 17.4.21

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
17.04.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– जिलाधिकारी सुलतानपुर/अमेठी।
2– पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर/अमेठी।
3– कारागार अधीक्षक, सुलतानपुर।
4– अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन सुलतानपुर।
5– अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, मुसाफिरखाना, सुलतानपुर।
6– सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर सेन्टर को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7– जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
17.04.2021